भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4156

20 दिसम्बर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

कोलार में आयुष अस्पताल

4156. श्री एम. मल्लेश बाबू:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोलार जिले को छोड़कर कर्नाटक राज्य के सभी जिले उन्नत आयुष/आयुर्वेदिक अस्पतालों से सुसज्जित हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को ज्ञात है कि कोलार जिले में रहने वाले अधिकांश लोग पार्श्ववायु, अस्थमा, श्वसन संक्रमण, अन्य संबद्ध संक्रमण और रोगों आदि के उपचार के लिए आयुर्वेद और आयुष अस्पतालों पर निर्भर हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त जिले में एक उन्नत आयुष/ आयुर्वेदिक अस्पताल स्थापित करने के लिए कोई आवश्यक कार्रवाई शुरू की है; और

(ङ) यदि हां, तो कर्नाटक के कोलार जिले में इस उन्नत आयुष/आयुर्वेदिक अस्पताल के शुरू होने और इसके कार्यकरण का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): जन स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण, कर्नाटक राज्य के सभी जिलों में उन्नत आयुष/आयुर्वेद अस्पतालों में उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है और इसी प्रकार कोलार जिले में उन्नत आयुष/आयुर्वेद अस्पताल की स्थापना का विषयगत मामला भी राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है। हालांकि, जैसा कि कर्नाटक राज्य सरकार का प्रतिवेदन है, राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत कोलार जिले सहित कर्नाटक राज्य के सभी जिले आवश्यक प्रक्रियात्मक उपकरणों से सुसज्जित हैं और राज्य ने कोलार जिले के 2 अस्पतालों सहित 83 आयुष अस्पतालों को उन्नत किया है।

राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि कोलार जिले में रहने वाले अधिकांश लोग पार्श्ववायु, अस्थमा, श्वसन संक्रमण, अन्य संबद्ध संक्रमणों और रोगों के उपचार के लिए आयुर्वेद और आयुष अस्पतालों पर निर्भर हैं। इसके अलावा, मंत्रालय पहले से ही राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केन्द्रीय प्रायोजित योजना को कार्यान्वित कर रहा है, जिसमें 50/30/10 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना के लिए कर्नाटक सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता का प्रावधान है और राज्य सरकार एनएएम दिशानिर्देश के प्रावधान के अनुसार राज्य वार्षिक कार्य योजना (एसएएपी) के माध्यम से उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करके वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती है।

*****